यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा के माह 05/2015 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 25/11/2018 से 29/11/2018 तक श्री वी0पी0सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस0एस0 दरियाल, श्री भानू प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो तथा श्री पारस शर्मा लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.05.2015 से 02.06.2015 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2006 से 04/ 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के अंतर्गत-सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा,सिंचाई खण्ड रानीखेत,सिंचाई खण्ड बागेश्वर एवं सिंचाई खण्ड, कपकोट।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	99.69	99.69	-	-	-	-
2016-17	-	-	108.23	108.23	-	-	-	-
2017-18	-	-	112.47	112.47	-	-	-	-
2018-19 (up to 10/2018)	-	-	56.33	56.33	-	-	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2015-16	nil					
2016-17						
2017-18						
2018-19 (up to 10/2018)						

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन,

––प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

––मुख्य अभियन्ता, स्तर–2, सिंचाई विभाग,

–– अधीक्षण अभियन्ता , सिंचाई कार्य मण्डल,

––अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,

(iv)**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल,अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल,अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2016 एवं 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन .... के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर: 1 - कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कम निरीक्षण किए जाने के संबंध मे।

सिंचाई विभाग के मैनुयल-2 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुसार अधीक्षण अभियंता अपने मण्डल के विभिन्न कार्यों की स्थिति का निरीक्षण करेगे तथा इस बारे मे स्वम की संतुष्टि करेगे कि प्रबंध की वर्तमान व्यवस्था दक्ष तथा मितव्ययी हैं कि भंडार मे विभिन्न वस्तुये स्थापित नियमों के अनुरूप सत्यापित हैं तथा किसी खंड के भंडार मे आवश्यकता से अधिक भंडार नही हैं। वह अपने अधीन खण्डीय कार्यालयों का निरीक्षण वर्ष मे न्यूनतम एक बार अवश्य करेगे तथा अपने निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य अभियंता स्तर-2 को सूचनार्थ भेजेगे। अधीक्षण अभियंता,सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा के अधीन चार खंड अधिशासी अभियंता, अल्मोड़ा, अधिशासी अभियंता,रानीखेत, अधिशासी अभियंता, बागेश्वर एवं अधिशासी अभियंता, कपकोट हैं।
कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2015 से अतिथि तक केवल एक बार अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, रानीखेत के अंतर्गत कार्य रामगंगा बाई नहर का निरीक्षण किया।इसके अतिरिक्त कोई भी निरीक्षण नही किया गया। एवं न ही नियमानुसार निरीक्षण आख्या मुख्य अभियंता को भेजी जाती हैं।

इस संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य की अधिकता एवं दो कार्यालयों का कार्यभार होने के कारण निरीक्षण नही किया जा सका। कार्यालय का उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा आपति की पुष्टि करता हैं।

अत: कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमो के विरुद्ध कम निरीक्षण किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं ।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	168/1997-98	----	01	
2.	16/2015-16	----	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तमकार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(1)	श्री नवीन सिंघल	अधीक्षण अभियन्ता	(21.12.2013 से 26.06.2015 तक)
(2)	श्री पी0सी0 मलकानी	अधीक्षण अभियन्ता	(27.06.2015 से 31.07.2017 तक)
(3)	श्री डी0एस0 कुटियाल	अधीक्षण अभियन्ता	(01.08.2017 से 27.07.2018 तक)
(4)	श्री एम0सी0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता	(28.07.2018 से वर्तमान तक)

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. NA

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2